Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उपखण्ड अधिकारी एस.डी.एम. दौसा व एस.डी.एम. बांदीकुई रिश्वतखोरी में गिरफ्तार**
- **दलाल नीरज मीणा को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दौसा के नाम से रिश्वत मांगने के प्रकरण में किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर देहात इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये दौसा एस.डी.एम. पुष्कर मित्तल को परिवादी से 5 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों एवं बांदीकुई एस.डी.एम. सुश्री पिंकी मीणा को 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग करते हुये गिरफ्तार किया एवं दलाल नीरज मीणा को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दौसा के नाम से 38 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग किये जाने पर गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि उन्हें दौसा जिले में हाईवे निर्माण करने वाली कम्पनी के मालिक ने शिकायत की कि काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा देकर भूमि सड़क निर्माण हेतु सुपुर्द करने की एवज में तथा निर्माण कार्य में रूकावट नहीं डालने के लिए जिला दौसा के एस.डी.एम. दौसा व एस. डी.एम. बांदीकुई तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है तथा रिश्वत नहीं देने पर बहुत परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **महानिदेशक एसीबी श्री सोनी के निर्देशन पर अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया जाकर एसीबी जयपुर देहात के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** एवं पुलिस निरीक्षक श्री नीरज भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक श्री संजय कुमार व पुलिस निरीक्षक श्री रणजीत सिंह की पृथक–पृथक टीमों द्वारा एक साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये **उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) दौसा पुष्कर मित्तल** को 5 लाख रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं **उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई पिंकी मीणा** को 10 लाख रूपये की रिश्वत राशि की मांग किये जाने पर गिरफ्तार किया गया है।

साथ ही **एसीबी महानिदेशक श्री सोनी** ने बताया कि हाईवे निर्माण कम्पनी के मालिक से ही तत्कालीन पुलिस अधीक्षक दौसा श्री मनीष अग्रवाल के नाम से दलाल नीरज मीणा द्वारा 4 लाख रूपये मासिक बंधी एवं प्रति एफ.आई.आर. में मामला रफा–दफा करने की एवज में 10 लाख रूपये की मांग की जाकर 7 माह के 4 लाख रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 28 लाख व एक एफ.आई.आर. के 10 लाख रूपये कुल 38 लाख रूपये रिश्वत राशि मांग किये जाने पर आज **दलाल प्राईवेट व्यक्ति नीरज मीणा** पेट्रोल पम्प मालिक लालसोट रोड दौसा को गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमों द्वारा आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।